

उत्तराखण्ड राज्य सरकार (GoUK)



नगर पंचायत, थलीसैंण (FAA)

जारी करने की तिथि : 19 मार्च, 2024

गोपनीय

To,

The Executive Officer,
Nagar Panchayat, Thalısain
District- Pauri Garhwal, Uttarakhand.

Sir/Ma'am,

As per the powers conferred by Government of Uttarakhand vide Notification No A-584/XXVII (6)/1466/Three/2021 Dated 6th December, 2021 (Financial Attest Audit Manual), the Director of Audit is Primary Statutory Auditor for conducting Financial Attest Audit of Urban and Rural Local Bodies of Uttarakhand.

The Directorate had conducted the Financial Attest Audit of Nagar Panchayat, Thalısain for the Financial Year - 2022-2023 on the behalf of the Directorate of Audit with overall objective-

➤ To obtain reasonable assurance whether the Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, thereby enabling an auditor to express an opinion on whether the Financial Statements are prepared, in all material respects, in accordance with an applicable financial reporting framework; and

➤ To report on the Financial Statements, and communicate as required by the Uttarakhand Financial Attest Audit Manual, in accordance with the auditor's findings.

Hence as per above said notification rule no 8 (a) and 8 (b), the following reports have been appended with the letter for the audit entity for compliance-

1. Independent Auditor Report along with the following annexures-

➤ Annexure to the Independent Auditors Report with detailed Observations on the Basis of Opinion and Emphasis of Matter/ Report on Legal, Regulatory and other requirement (if applicable).

➤ Audited Annual financial Statement including the Income and Expenditure for the year ending on along with its schedules, Balance Sheet as on along with schedules, Notes to Account and Cash Flow Statement.

2. Management Letter and Auditors Report on additional matters-

➤ Observations that relates to Internal Control of Nagar Panchayat, Thalısain along with suggestion for improvement and strengthening Internal Control.

It is also to be highlighted that the audit observation as raised in Independent Audit Report and observations of Management letter to the audit unit, the Compliance and Action Taken Report along with Board Resolution are required as per the timelines laid down-

➤ Under Section 8 of Uttarakhand Audit Act, the Commissioner / Executive Officer shall take immediate action on the observations and submit replies to the Directorate of Audit within one month of issuance of Independent Audit Report and Management Letter. The report should include each observation separately raised therein, showing the action taken or proposed to be taken thereon.

➤ As per Section 145 of Uttar Pradesh (Uttarakhand) Nagar Nigam Act, 1959 and provision of Uttarakhand Municipal Accounting Manual, 2021, a special meeting of Board /Councillors is also to be convened for discussion on each observation. The Board shall review action taken on each observation with explanation and review the answers in written from the officers / employees responsible. Along with action taken report. The board shall pass the resolution for Action Taken Report on compliance of audit observation.

E-signed

Copy Forwarded To-

1. Principal Secretary / Secretary, Finance, Section-6, Govt of Uttarakhand.
2. Principal Secretary / Secretary, Urban Development Department, Govt of Uttarakhand.
3. Director, Urban Development Department, Uttarakhand, Dehradun.
4. Project Director, UKPFMS, Uttarakhand, Dehradun.
5. Guard File.

E-signed

(Section I) खंड 1(General Information) सामान्य सूचना

(Auditee Profile) लेखापरीक्षी रूपरेखा

लेखापरीक्षा इकाई का नाम-	नगर पंचायत, थलीसैंण (FAA)
लेखापरीक्षा इकाई का पता और दूरभाष नं.	नगर पंचायत, थलीसैंण (पौड़ी गढ़वाल)
लेखापरीक्षा अवधि	2022-23
लेखापरीक्षा इकाई के प्रमुख का नाम	श्री नितिन भदौरिया
लेखापरीक्षा इकाई के प्रमुख का पद	निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड
वरिष्ठ लेखा व्यक्ति का नाम	श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
वरिष्ठ लेखा व्यक्ति का पदनाम	प्राभारी अधिशासी अधिकारी
डीडीओ का नाम (राजपत्रित)	श्रीमती नूपुर वर्मा
डीडीओ का पदनाम (राजपत्रित)	प्रशासक/उपजिलाधिकारी

(Auditor's Profile) लेखापरीक्षक की रूपरेखा

ऑडिट टीम के सदस्य का नाम	श्री किशन सिंह
ऑडिट टीम के सदस्य का पदनाम	सहायक निदेशक/लेखा परीक्षा अधिकारी (टीम लीडर)
ऑडिट टीम के सदस्य का ई-मेल	ksbishtuk14@gmail.com
ऑडिट टीम के सदस्य का मोबाइल नंबर	9997366011
ऑडिट टीम के सदस्य का नाम	श्री अमित जुयाल
ऑडिट टीम के सदस्य का पदनाम	लेखा परीक्षक (सदस्य)
ऑडिट टीम के सदस्य का ई-मेल	juyal5581amit@gmail.com
ऑडिट टीम के सदस्य का मोबाइल नंबर	9760477178

(Audit Profile) लेखापरीक्षा रूपरेखा

लेखापरीक्षा अवधि (वित्तीय वर्ष)	2022-2023
आरंभ करने की तिथि	19-02-2024
समाप्ति तिथि	22-02-2024
पिछला लेखापरीक्षा	2021-2022

To,

Governing Body of ULB/ Head of the ULB

नगर पंचायत, थलीसैण

Opinion :Qualified

We have audited the accompanying Financial Statements of the नगर पंचायत, थलीसैण (FAA), which comprise Balance Sheet as at 31 March 2023, and Income and Expenditure Statement and Cash Flow Statement for the year then ended, and Notes to Financial Statements, including a summary of Significant Accounting Policies.

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion section of our report, the accompanying Financial Statements give a true and fair view of the financial position of the नगर पंचायत, थलीसैण (FAA) as at 31 March 2023, and its incomes and expenditures and its cash flows for the year then ended in accordance with Uttarakhand Municipal Accounting Manual, 2021 (UMAM).

Basis for Qualified Opinion :

We conducted our audit in accordance with International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAIs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of नगर पंचायत, थलीसैण (FAA) in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Financial Statements in India and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion.

- 1- विभिन्न कार्यों के देयकों से 1% लेबर सेस की कटौती की धनराशि रु0 4712/- को राजकोष में जमा न किया जाना
- 2- अर्जित व्याज की धनराशि रु० 126863/- को राजकोष में जमा न कर अवरोद्ध रखा जाना
- 3- Revenue, Grants, Contributions & Subsidies (Code no.1-60) में रु० 11697679.15 के अंतर का कारण स्पष्ट न होना
- 4- वर्ष के अंतर्गत अर्जित व्याज की धनराशि रु० 125189/- के सापेक्ष Income And Expenditure Statement के अंतर्गत Interest Earned (Code no.1-71) में धनराशि को शून्य दर्शाया जाना
- 5- अंतिम शेष में 282931.84 के अंतर का कारण स्पष्ट न होना

Emphasis of Matters :

To be reported wherever applicable. {The auditor should describe the matters on which they wish to draw emphasis} We draw attention to _____ However, we have not qualified our opinion in respect of this matter.

- 1- निकाय का बजट तैयार न किया जाना
- 2- कार्यदायी संस्था के साथ एम० ओ० यू० हस्ताक्षरित किये बिना कार्यालय भवन निर्माण कार्य हेतु रु० 90.00 किया जाना
- 3- संपत्ति/ भवन कर निर्धारण हेतु सर्वेक्षण/ वार्षिक मूल्यांकन न किये जाने के फलस्वरूप भवन कर की वसूली न हो पाना

Responsibilities of the Management of (नगर पंचायत, थलीसैण (FAA)) for the Financial Statements

Management of नगर पंचायत, थलीसैण (FAA) is responsible for the preparation of Financial Statements that give a true and fair view in accordance with Uttarakhand Municipal Accounting Manual, 2021. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Nagar Nigam Act 1959 (as in force and as amended in Uttarakhand)/ Uttar Pradesh Nagar Palika Act 1916 (as in force and as amended in Uttarakhand) and Rules thereunder and the Uttarakhand Municipal Accounting Manual for safeguarding of the assets of the नगर पंचायत, थलीसैण (FAA) and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error. The Management of नगर पंचायत, थलीसैण (FAA) is responsible for overseeing the financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISSAIs will always detect a material misstatement when it exists.

Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Report on Legal, Regulatory and Other Requirements

1- ₹0 142780/- मूल्य के क्रय किये गये कम्प्यूटरों का तकनीकी सत्यापन न कराया जाना

2- स्थायी/अस्थायी भण्डार एवम स्टेशनरी पंजिका का अनुरक्षण नियमानुसार न किया जाना

Appendix to Independent Auditor's Report

As part of an audit in accordance with ISSAIs, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit.

We also:

- Identify and assess the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud and error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide basis for our opinion. The risk of not detecting material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of the organization's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and reasonableness of accounting estimates and related disclosure made by the management.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Financial Statements, including the disclosures, and whether the Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves true and fair view.

We communicate to Management of नगर पंचायत, थलीसैंण (FAA) regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide to Management of नगर पंचायत, थलीसैंण (FAA) a statement we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationship and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Management Letter for ULBs

A. Executive Summary

अधिशाली अधिकारी, नगर पंचायत, थलीसैण

In February , 2024 Directorate of Audit (DoA), Government of Uttarakhand conducted a Financial Attest Audit of नगर पंचायत, थलीसैण (FAA) for the period from 01/04/2022 to 31/03/2023. The audit covered, evaluation and assessment of the Financial Statements for the financial year 2022-2023 prepared by the management for नगर पंचायत, थलीसैण (FAA) and some of the key findings are elaborated below:

B. Good Practice Noted

NIL

C. Key Analysis, issues and Recommendations

During the audit, we raised {10} objections of which {4} were categorized serious, (If the % of Serious Objections is substantial e.g. 60% then comment on the consequences of the same).

Among the high priority issues noted in this report, the most significant ones are presented below:

- 1- विभिन्न कार्यों के देयकों से 1% लेबर सेस की कटौती की धनराशि ₹0 4712/- को राजकोष में जमा न किया जाना।
- 2- कार्यदायी संस्था के साथ एम० ओ० यू० हस्ताक्षरित किये बिना कार्यालय भवन निर्माण कार्य हेतु रु० 90.00 लाख हस्तांतरित किया जाना।
- 3- अर्जित व्याज की धनराशि रु० 126863/- को राजकोष में जमा न कर अवरुद्ध रखा जाना।
- 4- निकाय का बजट तैयार न किया जाना।

{NOTE: Be selective. Only the most significant among the high priority issues must be highlighted in the Executive Summary. [Limit the number of issues to be highlighted to a maximum of 5.]

{Issues should be summarized and not presented verbatim from the main report. To the extent possible use only one paragraph per issue.
}

{Mention any recommendation to be provided to the management with regards to the preparation and maintenance of financial statement and records}

लेखा परीक्षा आपत्तियों का शीघ्र परिपालन कराये जाने हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

Based on our audit of the financial statement for the Audit Year 2022-2023 , we have provided our opinion is Section-I (Independent Auditor's Report) of this report.

पैरा नंबर -1

पर्यवेक्षण का प्रकार	Medium Risk
अवलोकन का वर्गीकरण	Operational, Compliance, Process Improvement
एचएमएम नंबर	1
एचएमएम का प्रकार	Objection
पैरा नंबर	1
वित्तीय राशि	4712.00
संदर्भित दस्तावेज	Memo No:-1 Sub-Memo No:-1 Related Documents-Attach By Auditor

(Brief of the Observation) अवलोकन का संक्षिप्त विवरण:

विभिन्न कार्यों के देयकों से 1% लेबर सेस की कटौती की धनराशि ₹0 4712/- को राजकोष में जमा न किया जाना -

(Document Referred) संदर्भित दस्तावेज:

Memo No:-1 Sub-Memo No:-1 Related Documents-Attach By Auditor

(Description mention in HMM) एचएमएम में वर्णित विवरण:

विभिन्न कार्यों के देयकों से 1% लेबर सेस की कटौती की धनराशि ₹0 4712/- को राजकोष में जमा न किया जाना - श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या- 474 (2)/VIII/12-35(श्रम)/ 2011 दिनांक 17-05-2012 के अनुसार समस्त भवनों एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों, जिनमें 10 लाख रुपये से अधिक के निर्माण लागत वाले निजी रिहायशी आवास भी सम्मिलित हैं, पर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अधीन 1% श्रम उपकर (लेबर सेस) संगृहीत कर संग्रह के 30 दिवसों के अन्दर उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, हल्द्वानी के खाते में जमा करने के निर्देश दिए गये थे। उक्त शासनादेश के क्रम में प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड देहरादून द्वारा जारी पत्रांक 53 दिनांक- 29-05-2013 के प्रस्तर -1 के अनुसार "लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे समस्त SOR's के अंतर्गत समस्त मदों पर 1% Labour cess की कटौती कर नियमानुसार Labour welfare Board से सम्बंधित लेखा शीर्षक में जमा करना अनिवार्य होगा" की व्यवस्था की गयी थी।

कार्यालय, नगर पंचायत, थलीसैण की वर्ष 2022-23 की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्यों के देयकों से लेबर सेस धनराशि ₹0 4712.00 की कटौतियाँ की गयी थी, किन्तु कटौती की धनराशियों को निर्धारित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत राजकोष में जमा नहीं किया गया था-

क्रमांक	कार्य का विवरण	निर्माण कार्य में व्यय कुल राशि	जमा हेतु लेबर सेस की अवशेष धनराशि
01-	नगर पंचायत कार्यालय में पार्टिशन निर्माण कार्य	242581	2426.00
02-	नगर पंचायत कार्यालय में टाइल्स व पी0वी0सी0 पैनल कार्य	228641	2286.00
योग			4712.00

अतः नियमानुसार लेबर सेस की कटौती को निर्धारित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत जमा कराये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है

(Response from the Auditee on HMM) एचएमएम पर लेखापरीक्षा इकाई की प्रतिक्रिया:

अप्राप्त

(Conclusion and Recommendation) निष्कर्ष और संस्तुति :

लेखा परीक्षा आपत्ति का शीघ्र परिपालन किया जाना अपेक्षित है।

पैरा नंबर -2	
पर्यवेक्षण का प्रकार	High Risk
अवलोकन का वर्गीकरण	Operational
एचएमएम नंबर	2
एचएमएम का प्रकार	Objection
पैरा नंबर	2
वित्तीय राशि	142780.00
संदर्भित दस्तावेज	Memo No:-2 Sub-Memo No:-1 Related Documents-Attach By Auditor

(Brief of the Observation) अवलोकन का संक्षिप्त विवरण:

रु0 142780/- मूल्य के क्रय किये गये कम्प्यूटरों का तकनीकी सत्यापन न कराया जाना -

(Document Referred) संदर्भित दस्तावेज:

Memo No:-2 Sub-Memo No:-1 Related Documents-Attach By Auditor

(Description mention in HMM) एचएमएम में वर्णित विवरण:

रु0 142780/- मूल्य के क्रय किये गये कम्प्यूटरों का तकनीकी सत्यापन न कराया जाना - शासनादेश संख्या 15/37/XXXIV/सू0प्रौ0/2008 दिनांक 28-01-2011 के पैरा न0 01 के अनुसार "कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण, संचार उपकरण, आंडियो-वीडियो से संबन्धित उपकरण का क्रय ओ0ई0एम0 अथवा ओ0ई0एम0 के पंजीकृत एवं नामित नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से क्रय किए जा सकते हैं। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा यदि निविदा में प्रतिभाग किया जाता है तो संबन्धित ओ0ई0एम0 द्वारा यह प्रमाण-पत्र दिया जाना आवश्यक होगा की वह उपकरण की सर्विस सपोर्ट व गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे " अग्रेतर पैरा न0 02 के अनुसार "निरीक्षण एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विभाग तृतीय पक्ष जैसे कि DGS & D अथवा N.I.C. के माध्यम से करायेगें " का प्रावधान है।

कार्यालय, नगर पंचायत, थलीसैण, पौड़ी गढ़वाल की लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराई गयी आलोच्य अवधि के व्यय प्रमाणकों कि जांच में पाया गया कि वाउचर संख्या 06 दिनांक 03-06-2022 द्वारा मै0 चॉइस इंटरप्राइजेज़, श्रीनगर के बिल संख्या 0954 दिनांक शून्य का भुगतान रु0 249880/- किया गया था, उक्त बिल में सम्मिलित 02 नग कम्प्यूटर क्रय हेतु जी0एस0टी0 सहित कुल रु0 142780/- का भुगतान किया गया था। किन्तु क्रय किये गये कम्प्यूटरों का तकनीकी सत्यापन कराये बिना संबन्धित फर्म को सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान कर दिया गया था, जो संदर्भित शासनादेश दिनांक 28-01-2011 के प्रस्तर दो में निहित प्रावधानों के विपरीत था।

(Response from the Auditee on HMM) एचएमएम पर लेखापरीक्षा इकाई की प्रतिक्रिया:

अप्राप्त

(Conclusion and Recommendation) निष्कर्ष और संस्तुति :

लेखा परीक्षा आपत्ति का शीघ्र परिपालन किया जाना अपेक्षित है।

पैरा नंबर -3

पर्यवेक्षण का प्रकार	Low Risk
अवलोकन का वर्गीकरण	Operational, Compliance, Process Improvement
एचएमएम नंबर	3
एचएमएम का प्रकार	Objection
पैरा नंबर	3
वित्तीय राशि	0.00
संदर्भित दस्तावेज	Memo No:-3 Sub-Memo No:-1 Related Documents-Attach By Auditor

(Brief of the Observation) अवलोकन का संक्षिप्त विवरण:

स्थायी/अस्थायी भण्डार एवम स्टेशनरी पंजिका का अनुरक्षण नियमानुसार न किया जाना -

(Document Referred) संदर्भित दस्तावेज:

Memo No:-3 Sub-Memo No:-1 Related Documents-Attach By Auditor

(Description mention in HMM) एचएमएम में वर्णित विवरण:

स्थायी/अस्थायी भण्डार एवम स्टेशनरी पंजिका का अनुरक्षण नियमानुसार न किया जाना - नगर पंचायत, थलीसैण द्वारा स्थायी भण्डार पंजिका, अस्थायी भण्डार पंजिका व स्टेशनरी पंजिका पृथक-पृथक न बनाकर एक ही पंजिका में प्रविष्टि की जा रही है, जबकि तीनों पंजिकाएँ पृथक-पृथक बनाई जानी चाहिए थी। स्थायी भण्डार पंजिका में मृत स्कन्ध सामग्री जैसे मेज, कुर्सी, कम्प्यूटर, वाहन, प्रिन्टर, फोटोस्टेट मशीन आदि शामिल है। अस्थायी भण्डार पंजिका में उपयोग कर समाप्त होने वाली सामग्री जैसे की कप, प्लेट, गिलास सफाई सामग्री, आदि शामिल है। इसी प्रकार स्टेशनरी पंजिका में स्टेशनरी से संबन्धित सामग्री की अंकना की जाती है। उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के नियम सं0 75 के अनुसार रजिस्टर में उल्लेखित आस्तियों/सामग्री की उपलब्धता और पुरानी और निष्प्रयोज्य सामग्री के निस्तारण हेतु कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी या उसके नामित द्वारा 31 मार्च को वार्षिक सत्यापन किया जाय। कार्यालय नगर पंचायत, थलीसैण की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत भण्डार पंजिका की जांच में पाया गया कि सामग्री/स्टाक की वार्षिक लेखाबन्दी कर अग्रसारित नहीं किया गया था। स्टोक पंजिका का 31 मार्च को (वर्षान्त में अवशेष स्टोक की सूची मदवार एवं मूल्य सहित तैयार कर) सक्षम अधिकारी से भौतिक सत्यापन कराया जाना अपेक्षित है।

(ii) नगर पंचायत, थलीसैण के व्यय वाउचरों की जांच में पाया गया कि क्रय की गयी सामग्री की स्टोक अंकना बिल में नहीं की गयी थी, जबकि सामग्री क्रय किये जाने के पश्चात स्टोक कि प्रविष्टि बिल पर किया जाना अपेक्षित है।

Reference No- - Reference Act- - Reference Section- - Reference Head- -

(Response from the Auditee on HMM) एचएमएम पर लेखापरीक्षा इकाई की प्रतिक्रिया:

अप्राप्त

(Conclusion and Recommendation) निष्कर्ष और संस्तुति :

लेखा परीक्षा आपत्ति का शीघ्र परिपालन किया जाना अपेक्षित है।

पैरा नंबर -4

पर्यवेक्षण का प्रकार	Low Risk
अवलोकन का वर्गीकरण	Operational, Compliance, Process Improvement
एचएमएम नंबर	4
एचएमएम का प्रकार	Objection
पैरा नंबर	4
वित्तीय राशि	0.00
संदर्भित दस्तावेज	0

(Brief of the Observation) अवलोकन का संक्षिप्त विवरण:

निकाय का बजट तैयार न किया जाना-

(Document Referred) संदर्भित दस्तावेज:

0

(Description mention in HMM) एचएमएम में वर्णित विवरण:

निकाय का बजट तैयार न किया जाना- उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 यथा प्रवृत्त उत्तराखंड राज्य की धारा 99(1) के अनुसार प्रत्येक पालिका एक मीटिंग में जो कि प्रत्येक वर्ष होगी ऐसी तिथि के पूर्व जो कि नियम द्वारा इस विषय में निश्चित की जाए, ऐसी तिथि के बाद आने वाले मार्च के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वास्तविक तथा अनुमानित आय तथा व्यय का संपूर्ण लेखा तथा उसके साथ ही आगे आने वाले अप्रैल के प्रथम दिवस से प्रारंभ होने वाले वर्ष के लिए पालिका का आय-व्ययक बजट तखमीना (बजट एस्टीमेट) तैयार करायेगी तथा प्रस्तुत करेगी। अग्रेत्तर उपधारा (2) के अनुसार- धारा 102 के उपबंध के अधीन होते हुए पालिका ऐसी मीटिंग में बजट अनुमानों में दिए गए विनियोग को तथा अर्थोपाय के साधनों का निश्चय करेगी तथा विशेष संकल्प द्वारा बजट को स्वीकृत करेगी जो कि राज्य सरकार को अथवा ऐसे अधिकारियों को जैसा कि राज्य सरकार इस विषय में आदेश द्वारा निर्देश करें प्रस्तुत किया जाएगा।

उपधारा (3) के अनुसार - ऐसे उपबंधों के अधीन होते हुए भी, पालिका विशेष संकल्प द्वारा उपधारा (2) के अधीन स्वीकृत बजट में समय-समय पर जैसी कि परिस्थितियां बांछनीय करें, हेर-फेर कर सकती है तथा संशोधन कर सकती है।

लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये गए अभिलेखों से उक्तानुसार निकाय का बजट तैयार किये जाने की पुष्टि नहीं हुयी। अतः नियमानुसार बजट तैयार/ पारित कराये जाने हेतु प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

Reference No- - Reference Act- उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 Reference Section- 99 Reference Head- (1),(2) व (3)

(Response from the Auditee on HMM) एचएमएम पर लेखापरीक्षा इकाई की प्रतिक्रिया:

अप्राप्त

(Conclusion and Recommendation) निष्कर्ष और संस्तुति :

लेखा परीक्षा आपत्ति का शीघ्र परिपालन किया जाना अपेक्षित है।

पैरा नंबर -5

पर्यवेक्षण का प्रकार	Low Risk
अवलोकन का वर्गीकरण	Operational,Financial,Compliance,Process Improvement
एचएमएम नंबर	5
एचएमएम का प्रकार	Objection
पैरा नंबर	5
वित्तीय राशि	126863.00
संदर्भित दस्तावेज	0

(Brief of the Observation) अवलोकन का संक्षिप्त विवरण:

अर्जित व्याज की धनराशि ₹० 126863/- को राजकोष में जमा न कर अवरुद्ध रखा जाना-

(Document Referred) संदर्भित दस्तावेज:

0

(Description mention in HMM) एचएमएम में वर्णित विवरण:

अर्जित व्याज की धनराशि ₹० 126863/- को राजकोष में जमा न कर अवरुद्ध रखा जाना- उत्तराखंड शासन के पत्रांक 126(I)XXXVII(6) TCA 934-2014 दिनांक 21-04-2017 (वित्त अनुभाग-6) एवं वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ उत्तराखंड शासन, देहरादून के पत्र सं. 99/XXVII(14)/ 2009 दिनांक 03 सितम्बर, 2009 के प्रस्तर 2 के अनुसार यदि किसी विशिष्ट कारणों के कारण समेकित निधि से आहरित धनराशि का उपभोग न किया जा सके तथा उस पर व्याज अर्जित हो तब इस प्रकार अर्जित धनराशि को लेखा शीर्षक- 0049-व्याज प्राप्तियां-04-राज्य/संघ क्षेत्र की सरकारों की व्याज प्राप्तियां,800-अन्य प्राप्तियां,12-अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियाँ” के अंतर्गत राजकोष में जमा कराये जाने का प्रावधान है।

नगर पंचायत की आलोच्य अवधि की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि पंजाब नेशनल बैंक, थलीसैंण में खोले गए बचत खाता सं. 7860000100049524 के बैंक स्टेटमेंट/पासबुक के अनुसार बैंक द्वारा वर्ष 2021-22 में ₹0 1674/- व वर्ष 2022-23 में ₹0 125189/-अर्जित व्याज की धनराशि क्रेडिट की गयी थी, जिसे नियमानुसार राजकोष में जमा नहीं किया गया था। अतः अर्जित व्याज की धनराशि को राजकोष में समर्पित किये जाने हेतु प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

Reference No- उत्तराखंड शासन के पत्रांक 126(I)XXXVII(6) TCA 934-2014 दिनांक 21-04-2017 (वित्त अनुभाग-6) Reference Act- -
Reference Section- - Reference Head- -

(Response from the Auditee on HMM) एचएमएम पर लेखापरीक्षा इकाई की प्रतिक्रिया:

अप्राप्त

(Conclusion and Recommendation) निष्कर्ष और संस्तुति :

लेखा परीक्षा आपत्ति का शीघ्र परिपालन किया जाना अपेक्षित है।

पैरा नंबर -6

पर्यवेक्षण का प्रकार	Medium Risk
अवलोकन का वर्गीकरण	Operational,Financial,Compliance,Process Improvement
एचएमएम नंबर	6
एचएमएम का प्रकार	Objection
पैरा नंबर	6
वित्तीय राशि	9000000.00
संदर्भित दस्तावेज	0

(Brief of the Observation) अवलोकन का संक्षिप्त विवरण:

कार्यदायी संस्था के साथ एम० ओ० यू० हस्ताक्षरित किये बिना कार्यालय भवन निर्माण कार्य हेतु रु० 90.00 लाख हस्तांतरित किया जाना -

(Document Referred) संदर्भित दस्तावेज:

0

(Description mention in HMM) एचएमएम में वर्णित विवरण:

कार्यदायी संस्था के साथ एम० ओ० यू० हस्ताक्षरित किये बिना कार्यालय भवन निर्माण कार्य हेतु रु० 90.00 लाख हस्तांतरित किया जाना - शासनादेश सं. 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के अनुसार कार्यदायी संस्था के साथ प्रत्येक निर्माण कार्य को आवंटित करते समय निर्धारित प्रारूप पर एम०ओ०यू० अनिवार्य रूप से हस्ताक्षरित किये जाने का प्रावधान है। नगर पंचायत, थलीसैंण की वर्ष 2022-23 की लेखा पर्ष के दौरान लेखाभिलेखों की जांच में पाया गया कि मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं. 176/2021 दिनांक 17 सितम्बर, 2021 के क्रम में जिलाधिकारी पौड़ी के पत्रांक 300(1)/15 प्रशा० अधि० राजस्व/ 2021-22 दिनांक 15.03.2022 द्वारा नगर पंचायत थलीसैंण के कार्यालय भवन निर्माण हेतु रु० 1.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक सं. 31 दिनांक 16.11.2022 द्वारा रु० 90.00 लाख कार्यदायी संस्था/ विभाग अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग पौड़ी को बिना एम०ओ०यू० हस्ताक्षरित किये ही हस्तांतरित कर दिये गए थे, जिसका उपभोग प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा तिथि तक भी अप्राप्त था। अतः कार्यदायी संस्था के साथ एम० ओ० यू० हस्ताक्षरित किये बिना रु० 90.00 लाख हस्तांतरित किये जाने व वर्षांत तक भी उपभोग प्रमाणपत्र अप्राप्त रहने का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संज्ञान में लाया जाता है।

Reference No- शासनादेश सं. 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 Reference Act- - Reference Section- - Reference Head- -

(Response from the Auditee on HMM) एचएमएम पर लेखापरीक्षा इकाई की प्रतिक्रिया:

अप्राप्त

(Conclusion and Recommendation) निष्कर्ष और संस्तुति :

लेखा परीक्षा आपत्ति का शीघ्र परिपालन किया जाना अपेक्षित है।

पैरा नंबर -7

पर्यवेक्षण का प्रकार	Low Risk
अवलोकन का वर्गीकरण	Operational, Compliance, Process Improvement
एचएमएम नंबर	7
एचएमएम का प्रकार	Objection
पैरा नंबर	7
वित्तीय राशि	0.00
संदर्भित दस्तावेज	Memo No:-7 Sub-Memo No:-1 Related Documents-Attach By Auditor

(Brief of the Observation) अवलोकन का संक्षिप्त विवरण:

संपत्ति/ भवन कर निर्धारण हेतु सर्वेक्षण/ वार्षिक मूल्यांकन न किये जाने के फलस्वरूप भवन कर की वसूली न हो पाना-

(Document Referred) संदर्भित दस्तावेज:

Memo No:-7 Sub-Memo No:-1 Related Documents-Attach By Auditor

(Description mention in HMM) एचएमएम में वर्णित विवरण:

संपत्ति/ भवन कर निर्धारण हेतु सर्वेक्षण/ वार्षिक मूल्यांकन न किये जाने के फलस्वरूप भवन कर की वसूली न हो पाना- उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916(उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा-296 (1) के अंतर्गत प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 128(1) (प) के तहत भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर परिसंपत्ति कर आरोपित करने के उद्देश्य से नगर पंचायत थलीसैंण, जिला- पौड़ी गढ़वाल द्वारा उत्तराखण्ड गजट में दिनांक 14 जनवरी, 2023 को अधिसूचना जारी कर “संपत्ति कर उपविधि-2022” बनायी गयी थी। किन्तु उक्तानुसार संपत्ति/ भवन कर निर्धारण हेतु सर्वेक्षण/ वार्षिक मूल्यांकन कार्य न कराये जाने के फलस्वरूप आलोच्य अवधि में भवन कर की कोई वसूली नहीं हुई थी। अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है, ताकि नगर पंचायत की आंतरिक आय में वृद्धि हो सके।

Reference No- - Reference Act- नगर पालिका अधिनियम 1916 Reference Section- 128 Reference Head- (1) (प)

(Response from the Auditee on HMM) एचएमएम पर लेखापरीक्षा इकाई की प्रतिक्रिया:

अप्राप्त

(Conclusion and Recommendation) निष्कर्ष और संस्तुति :

लेखा परीक्षा आपत्ति का शीघ्र परिपालन किया जाना अपेक्षित है।

पैरा नंबर -8

पर्यवेक्षण का प्रकार	Medium Risk
अवलोकन का वर्गीकरण	Operational, Financial, Compliance, Process Improvement
एचएमएम नंबर	8
एचएमएम का प्रकार	Objection
पैरा नंबर	8
वित्तीय राशि	11697679.00
संदर्भित दस्तावेज	0

(Brief of the Observation) अवलोकन का संक्षिप्त विवरण:

Revenue, Grants, Contributions & Subsidies (Code no.1-60) में रु० 11697679.15 के अंतर का कारण स्पष्ट न होना-

(Document Referred) संदर्भित दस्तावेज:

0

(Description mention in HMM) एचएमएम में वर्णित विवरण:

Revenue, Grants, Contributions & Subsidies (Code no.1-60) में रु० 11697679.15 के अंतर का कारण स्पष्ट न होना- लेखा परीक्षा में उपलब्ध करायी गयी आलोच्य अवधि की रोकड़वही/ बैंक स्टेटमेंट व IFMS Ledger (PLA A/C 809801) के अनुसार वर्ष 2022-23 में कुल प्राप्त अनुदान की धनराशि रु० 18008000/- थी, जबकि Financial Statement के अंतर्गत Income And Expenditure Statement (Schedule I-6) में Revenue, Grants, Contributions & Subsidies के अंतर्गत कुल कुल धनराशि मात्र रु० 6310320.85 दर्शायी गयी थी, उक्त अंतर का कारण लेखा परीक्षा में अस्पष्ट रहा।

Reference No- - Reference Act- - Reference Section- - Reference Head- -

(Response from the Auditee on HMM) एचएमएम पर लेखापरीक्षा इकाई की प्रतिक्रिया:

अप्राप्त

(Conclusion and Recommendation) निष्कर्ष और संस्तुति :

लेखा परीक्षा आपत्ति का शीघ्र परिपालन किया जाना अपेक्षित है।

पैरा नंबर -9

पर्यवेक्षण का प्रकार	Medium Risk
अवलोकन का वर्गीकरण	Operational,Financial,Compliance,Process Improvement
एचएमएम नंबर	9
एचएमएम का प्रकार	Objection
पैरा नंबर	9
वित्तीय राशि	125189.00
संदर्भित दस्तावेज	0

(Brief of the Observation) अवलोकन का संक्षिप्त विवरण:

वर्ष के अंतर्गत अर्जित व्याज की धनराशि रु० 125189/- के सापेक्ष Income And Expenditure Statement के अंतर्गत Interest Earned (Code no.1-71) में धनराशि को शून्य दर्शाया जाना-

(Document Referred) संदर्भित दस्तावेज:

0

(Description mention in HMM) एचएमएम में वर्णित विवरण:

वर्ष के अंतर्गत अर्जित व्याज की धनराशि रु० 125189/- के सापेक्ष Income And Expenditure Statement के अंतर्गत Interest Earned (Code no.1-71) में धनराशि को शून्य दर्शाया जाना- वर्ष के अंतर्गत अर्जित व्याज की धनराशि रु० 125189/- के सापेक्ष Financial Statement (Income And Expenditure Statement) के अंतर्गत उक्त मद में प्राप्त धनराशि शून्य दर्शायी गयी थी, जिसके फलस्वरूप Income And

Reference No- - Reference Act- - Reference Section- - Reference Head- -

(Response from the Auditee on HMM) एचएमएम पर लेखापरीक्षा इकाई की प्रतिक्रिया:

अप्राप्त

(Conclusion and Recommendation) निष्कर्ष और संस्तुति :

लेखा परीक्षा आपत्ति का शीघ्र परिपालन किया जाना अपेक्षित है।

पैरा नंबर -10	
पर्यवेक्षण का प्रकार	Medium Risk
अवलोकन का वर्गीकरण	Operational,Financial,Compliance,Process Improvement
एचएमएम नंबर	10
एचएमएम का प्रकार	Objection
पैरा नंबर	10
वित्तीय राशि	282932.00
संदर्भित दस्तावेज	0

(Brief of the Observation) अवलोकन का संक्षिप्त विवरण:

अंतिम शेष में 282931.84 के अंतर का कारण स्पष्ट न होना-

(Document Referred) संदर्भित दस्तावेज:

0

(Description mention in HMM) एचएमएम में वर्णित विवरण:

अंतिम शेष में 282931.84 के अंतर का कारण स्पष्ट न होना- लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये गए बैंक स्टेटमेंट व पी०एल०ए० स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2023 को निम्न विवरणानुसार निधि का अंतिम शेष रु० 13988515.00 था, जबकि Financial Statement (वित्तीय विवरण) के अंतर्गत Cash Flow Statement में इसे मात्र रु० 13705583.16 ही दर्शित किया गया था-

- 1- पंजाब नेशनल बैंक, थलीसैंण के खाता सं. 7860000100049524 में-----रु० 4944212.00
- 2- SBI थलीसैंण के खाता सं. 40888157420 में-----रु० 1070953.00
- 3- पंजाब नेशनल बैंक, थलीसैंण के खाता सं. 7860002100000422 में-----रु० 92350.00
- 4- IFMS Ledger (PLA A/C 809801) के अनुसार अंतिम शेष-----रु० 7881000.00
- योग -----रु० 13988515.00

अतः उपरोक्त विवरणानुसार अंतिम शेष में 282931.84 के अंतर का कारण अस्पष्ट रहा।

(ii) संस्था द्वारा रोकड़ बही सिंगल एंट्री सिस्टम में अनुरक्षित की गयी थी, जबकि वित्तीय विवरण दोहरा लेखा पद्धति के अन्तर्गत accrual आधारित तैयार किये गए थे। अतः रोकड़ बही दोहरा लेखा पद्धति के आधार पर अनुरक्षित किया जाना अपेक्षित है।

Reference No- - Reference Act- - Reference Section- - Reference Head- -

(Response from the Auditee on HMM) एचएमएम पर लेखापरीक्षा इकाई की प्रतिक्रिया:

अप्रप्त

(Conclusion and Recommendation) निष्कर्ष और संस्तुति :

लेखा परीक्षा आपत्ति का शीघ्र परिपालन किया जाना अपेक्षित है।

Auditors Report on additional matters for ULBs

Bank Balances and Reconciliation

a) Whether all bank balances have been reconciled by the ULB?

Yes

b) Whether confirmation of bank balances, have been received from all bank accounts and Fixed Deposits?

Yes

Debtors

a) Whether the ULB has updated DCB register for all receivables due to the ULB?

No

b) Whether the receivables amount as per the DCB registers and the receivables amount as per financial statements are matching or is there any variance?

No

Fixed Assets

a) Whether the ULB is maintaining Fixed Asset Register showing full, including quantitative details and situation of all Fixed Assets?

No

b) Whether these Assets have been physically verified by the management at reasonable intervals; whether any material discrepancies were noticed on such verification and if so, whether the same have been properly dealt with in the books of account?

No

c) Whether the title deeds of all the immovable properties (other than properties where the ULB is the lessee and the lease agreements are duly executed in favour of the lessee) disclosed in the financial statements are held in the name of the ULB?

No

d) Whether the ULB has revalued its Fixed Assets, if so, whether the revaluation is based on the valuation

No

e) Registered Valuer; specify the amount of change?

No

Grants to be received

a) Whether any grants from government are due and if so, please provide the year wise break up?

No

b) Whether the amounts received as specific grants have been utilized for the purposes as stated in the grant sanction order?

Yes

Internal audit

a) Whether the ULB has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business?

No

Inventories

a) Whether ULB has reasonable system of recording receipts issues and usage of inventories?

Yes

b) Whether physical verification of inventory has been conducted at reasonable intervals by the management and whether, in the opinion of the auditor, the coverage and procedure of such verification by the management is appropriate?

No

Investments in SPVs (Only if applicable)

a) Whether ULB has invested in equity of any SPV? If so, what is the invested amount and the current value of such investments?

No

Loans Taken (Only if applicable)

a) Whether ULB has taken any loans? Whether ULB has defaulted in repayment of loans if yes, the period and the amount of default to be reported?

No

b) Whether the ULB has taken any loans to meet the obligations of its subsidiaries/associates/ joint ventures, if so, details thereof with nature of such transactions and amount in each case?

No

Municipal Bonds (Only if applicable)

a) Whether the ULB has issued municipal bonds. If yes what is the outstanding amount and when it is maturing? Is a suitable escrow/sinking fund created for repayment of bonds?

No

b) Is there any default in repayment of bonds?

No

c) Whether moneys raised by Bonds during the year were applied for the purposes for which those are raised, if not, it may be reported?

No

Other Matters

a) Whether in respect of all bills for works, proper M-books and bills have been maintained and that no deviation has been made without the sanction of the competent authority?

Yes

b) Whether the parties to whom the loans, or advances in the nature of loans, have been given by the ULB are repaying the principal amounts as stipulated and are also regular in payment of the interest and if not, whether reasonable steps have been taken by the ULB for recovery of the principal and interest?

Yes

c) Whether ULB follows e-procurement and all purchases above a defined threshold is carried out using e-procurement?

No

d) Whether books and records as mandated by Act/Rules/UMAM maintained?

No

Related Party Transactions

a) Whether there are any related party transactions to be reported for the year?

No

Statutory dues

a) Whether the ULB is regular in depositing Provident Fund dues and other employee dues deducted with the appropriate authorities and if not, the extent of arrears?

Yes

b) Whether the ULB is regular in depositing tax deducted at source (income tax and GST) and other statutory dues, and if not, the amount not deposited?

No

(Section IV) खंड 4 (Limitation of the Financial Attest Audit)

वित्तीय साक्षात्कृत लेखा परीक्षा

वित्तीय विवरण में दर्शित आकड़ों की पुष्टि में उनसे संबन्धित लेजर आदि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे, जिसके फलस्वरूप आकड़ों की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो पाया।

(Section V) खंड 5 (Recommendation) संस्तुति

लेखा परीक्षा आपत्तियों का शीघ्र परिपालन कराये जाने हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।